उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

पत्रॉक–43029–31 / वसूली / 2016–17 दिनॉकः 07.02.2017

समस्त जनपद / मण्डल पर्यवेक्षक, **महत्वपूर्ण**

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
प्रधान कार्यालय / प्रशिक्षण केन्द्र,
लखनऊ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या–सी–47 / वसूली / 16–17 दिनांक 06.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वसूली कार्यक्रम 2016–17 के अन्तर्गत प्रभावी वसूली कार्यवाही करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्धारित किये गये हैं।

उक्त परिपत्र दिनांक 06.08.2016 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार समस्त शाखाओं के 1 लाख से बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची दिनांक **15.09.2016** तक अनिवार्य रूप से साफ्ट (सी.डी.) कापी के साथ मुख्यालय के वसूली अनुभाग को प्राप्त कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। साथ ही साथ उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या–5 में 1 लाख से बड़े बकायेदारों के विरूद्ध एल0डी0बी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी वसूली कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

वसूली अनुभाग द्वारा वसूली आंकड़ों की समीक्षा करते समय यह तथ्य प्रकाश में आये कि प्रदेश की **बस्ती, गोरखपुर एवं आजमगढ़** मण्डलों को छोड़कर अन्य किसी भी मण्डल की शाखाओं द्वारा अभी तक 1 लाख से बड़े बकायेदारों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। साथ ही साथ प्रदेश के किसी भी मण्डल से इस आशय की जानकारी मुख्यालय के वसूली अनुभाग को प्राप्त नहीं हो रही है कि शाखाओं द्वारा 1 लाख से बड़े बकायेदारों के विरूद्ध बैंक नियमों के अन्तर्गत वसूली हेतु क्या प्रयास किये गये हैं।

आप अवगत है कि विमुद्रीकरण एवं अन्य तात्कालिक कारणों की वजह से बैंक की वसूली अत्यन्त प्रभावित हुई है। बैंक के किसी शाखा द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गयी है। इससे यह आभास होता है कि आप द्वारा अपने भ्रमण के दौरान अथवा अन्य अवसरों पर बैंक के 1 लाख से बड़े बकायेदारों के विरूद्ध वसूली तथा उत्पीड़क कार्यवाही की समीक्षा जनपद / मण्डल स्तर पर नहीं की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है और मुख्यालय द्वारा वसूली हेतु दिये गये निर्देशों के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय के उक्त परिपत्र दिनांक 06.08.2016 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप अपने पर्यवेक्षणाधीन जनपद / मण्डल के भ्रमण के दौरान बैंक शाखाओं के 1 लाख से बड़े बकायेंदारों की वसूली तथा उनके विरूद्ध अभी तक की गयी वसूली प्रयासों से दि015.02.17 तक अवगत करायें, साथ ही साथ उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या–1 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वांछित सूची साफ्ट कापी में अनिवार्य रूप से मुख्यालय के वसूली अनुभाग को दि0 **15.02.2017** तक प्राप्त करा दें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

ह0 / –
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–

1–समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समयान्तर्गत जनपद / मण्डल पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें, तथा कृतकार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

2–उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

ह0 / –
(ए0के0 शुक्ला)
महाप्रबन्धक(प्रशा0 / वसूली)